न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/105

मिसल नम्बर– 12/2025

प्रेम बाई पत्नी स्व0 लटूरलाल आयु 73 वर्ष जाति केवट निवासी अम्बिका स्कूल के पास सकतपुरा कुन्हाड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.नेरश केवट पुत्र स्व0 लटूरलाल आयु 38 वर्ष
2.लक्ष्मी पत्नी नरेश केवट आयु 35 वर्ष निवासी अम्बिका स्कूल के पास सकतपुरा कुन्हाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/10/2025

उपस्थिति:–

1.श्री अतीश सक्सेना प्रार्थी अधिवक्ता
2.श्री ललित शर्मा अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया प्रेम बाई पत्नी स्व0 लट्र लाल, आयु 73 वर्ष, जाति केवट, निवासी अम्बिका स्कूल के पास, सकतपुरा, कुन्हाड़ी, कोटा (राजस्थान) की वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध व विधवा महिला है तथा वर्तमान में वृद्धावस्था जनित बीमारियों से ग्रसित है। प्रार्थीया के दो पुत्र क्रमशः नरेश केवट व मोनू केवट एवं चार पुत्रियां क्रमशः नन्दा बाई, संजू बाई, सोना बाई व सीमा बाई है। प्रार्थीया व उसके पति लटूरलाल जी द्वारा अपने सभी पुत्र पुत्रियों का विवाह कर दिया गया है तथा प्रार्थीया की पुत्रियां अपने अपने ससुराल में निवासरत है। प्रार्थीया के मालिकाना स्वामित्व का एक मकान नं० 881, पैमाईश 646.32 वर्गफीट वाके अम्बिका स्कूल के पास, सकतपुरा, कुन्हाड़ी, कोटा (राजस्थान) में स्थित है, जिसका प्रार्थीया के नाम नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है। उक्त मकान का निर्माण प्रार्थीया व उसके पति द्वारा बड़ी मेहनत से अपनी स्वअर्जित आय से बड़ी मुश्किल से राशि जोड–जोड़ कर तैयार किया था। उक्त मकान दो मंजिला बना हुआ है, जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर दो कमरें, बरामद, लेटबॉथ व किचन बने हुये हैं तथा प्रथम तल पर एक हॉल, बरामदा बना हुआ है। जिसमें नीचे के एक कमरें में प्रार्थीया निवास करती आ रही है। प्रार्थीया के पति का वर्ष 2013 में स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीया का बड़ा पुत्र अप्रार्थी क्रमा 1 नरेश केवट व उसकी पत्नी अप्रार्थी क्रम 2 लक्ष्मी अपने बच्चों

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सहित उक्त मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित एक कमरें में निवास करते आ रहे हैं, नरेश ठेकेदारी का कार्य करता है, नरेश व उसकी पत्नी लक्ष्मी अत्यधिक झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कि आये दिन किसी ना किसी बात पर प्रार्थीया व उसके छोटे पुत्र मोनू केवट से विगत कई वर्षों से लड़ाई झगड़ा कर मारपीट तक करते आ रहे हैं तथा अप्रार्थी क्रम 2 लक्ष्मी द्वारा अनेकों बार स्वयं लड़ाई झगड़ा मारपीट कर प्रार्थीया के छोटे पुत्र मोनू के विरूद्ध पुलिस थाना कुन्हाड़ी, कोटा में बलात्कार, छेड़छाड़ आदि की झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, जिससे प्रार्थीया के पुत्र मोनू पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये, नरेश केवट व उसकी पत्नी के द्वारा प्रार्थीया के छोटे पुत्र मोनू व उसके परिवार को लड़ाई झगड़ा व मारपीट कर विगत 4 वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 नरेश केवट व उसकी पत्नी अप्रार्थी क्रम 2 लक्ष्मी के मन में लालच व बेईमानी आ गई है, जो कि एकराय होकर आपस में मिलीभगत कर किसी ना किसी प्रकार से प्रार्थीया के उक्त मकान पर कब्जा कर उसे हड़पना चाहते हैं, इसी दुराशय से मुल्जिमान नरेश व उसकी पत्नी द्वारा अब लगातार काफी समय से प्रार्थीया को अलग–अलग प्रकार से शारीरिक कष्ट व यातनायें दी जा रही है तथा मुल्जिमान द्वारा अनेकों बार प्रार्थीया के साथ गाली गलौच, अभद्रता करते हुये लड़ाई झगड़ा व मारपीट की जा चुकी है तथा प्रार्थीया पर दबाव बनाया जा रहा है कि "तु यह मकान हमारे नाम कर दें और तू अपने छोटे बेटे मोनू के पास चली जा, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे और फिर यह मकान अपने आप हमारे कब्जे में आ जायेगा, हमने तेरे बेटे मोनू व उसकी पत्नी को भी परेशान व प्रताडित कर इस घर से भगा दिया है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।" जिस पर प्रार्थीया द्वरा उनसे कहा गया कि "मैंने बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर उक्त मकान का निर्माण करवाया है तथा इस मकान से मेरी भावनायें जुड़ी है, ऐसे में इस वृद्धावस्था में यह मकान छोड़कर कहां जाऊंगी और मोनू भी किराये के मकान में ही तो रहता है तथा मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है।" इस पर मुल्जिमान द्वारा कहा गया कि "वो सब हम कुछ नहीं जानते, तुझे यह घर हमारे नाम करना ही होगा।" तथा प्रार्थीया के साथ इस वृद्धावस्था में भी मुल्जिमान के द्वारा लात घूंसों से मारपीट की गई तथा प्रार्थीया को विगत एक माह पूर्व घर से निकाल दिया गया। तब से प्रार्थीया असहाय होकर इधर उधर भटक रही है। दिनांक 10.02.2025 को प्रार्थीया अपने घर व कमरें की सार संभाल करने अपने उक्त मकान पर गई तो वहां अप्रार्थीगण द्वारा अपना ताला लगा रखा था, जब प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से अपना ताला तोड़ने व स्वयं का ताला लगाने का विरोध किया तो अप्रार्थीगण द्वारा गुस्से में आकर प्रार्थीया के साथ गाली गलौच करते हुये कहा कि "अब तेरा यहां कुछ भी नहीं है, यह मकान अब हमारा है, इसलिये इस कमरें पर हमारा ही ताला लगेगा।" तथा गुस्से में आकर प्रार्थीया के साथ लात घुंसों से मारपीट की। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थीया पुलिस थाना कुन्हाड़ी, कोटा में अप्रार्थीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाने गई परन्तु पारिवारिक मामला बताते हुये वहां प्रार्थीया की कोई सुनवाई नहीं की गई, इस पर प्रार्थीया द्वारा दिनांक 11.02.2025 को श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पुलिस अधीक्षक महोदय, कोटा शहर, कोटा के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर परिवाद प्रस्तुत किया परन्तु उस पर भी पुलिस द्वारा आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे प्रार्थीया को अपने ही घर से बेघर होकर दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है, इसलिये प्राथीया को मजबूरन श्रीमान के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया 73 वर्षीय वृद्ध विधवा महिला व वरिष्ठ नागरिक है, जो कि वृद्धावस्था जनित बीमारियों से ग्रसित महिला है, एवं अपना अंतिम समय अपने उक्त मकान में व्यतीत करना चाहती है, क्योंकि उक्त मकान से प्रार्थीया के भावनात्मक सम्बन्ध जुड़े हुये हैं, परन्तु प्रार्थीया कमजोर व वृद्ध होने से अप्रार्थीगण का सामना करने में असमर्थ है। प्रार्थीया उक्त मकान की एकमात्र रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वह अपने जीवन के अंतिम समय में उक्त मकान को बेचान नहीं करना चाहती है परन्तु पुलिस द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से अप्रार्थीगण के हौंसले बुलन्द हैं तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा व मारपीट कर उसे घर से निकालने एवं प्रार्थीया के मकान पर कब्जा कर उसे बेचान व खुर्द बुद करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीया उक्त मकान से भावनात्मक सम्बन्ध रखती हैं तथा अपने शेष बचे जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से उक्त मकान में व्यतीत करना चाहती हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा लगातार प्रार्थीया को परेशान किये जाने के कारण प्रार्थीया को अत्यधिक शारीरिक, आर्थिक कष्ट व मानसिक संताप का सामना करना पड़ा है, जिसके लिये पूर्णरूप से अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया की कोई सार संभाल नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थीगण को उक्त मकान में रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है एवं अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किया जाना न्यायोचित व अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मकान प्रार्थीया की निजी व स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें उसे रहने व शेष जीवन यापन करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है, तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीया की सुख सुविधा, रहन–सहन भोजन सुविधा, मनोरंज आदि से वंचित कर प्रार्थीया के उक्त मकान को हड़पना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवाद वास्ते प्रार्थीया के भरण पोषण, ईलाज, भौतिक सुख सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने व प्रार्थीया के प्रति आचरण एवं व्यवहार में सहिष्णुता लाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने, प्रार्थीया को उसके मकान पर कब्जा दिलवाये एवं प्रार्थीया के स्वामित्व के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य जो भी सहायता प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से मिल सके वह भी दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वर्तमान में प्रार्थीया किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया का एक मकान 881, सकतपुरा कोटा राजस्थान में होना स्वीकार है। उक्त मकान पर निर्माण कार्य अप्रार्थीगण व प्रार्थीया ने मिलकर एवं उसके पुत्र मोनू ने मेहनत मजदूरी कर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बनाया है। उक्त मकान दो मंजिला बना हुआ है। जिस पर अप्रार्थीगण निचले हिस्से पर प्रार्थीया व उसका पुत्र मोनू प्रथम मंजिल पर परिवार सहित निवास करते है। उक्त मकान पर विद्युत कनेक्शन प्रार्थीया के नाम पर लगा हुआ है, जिसका बिल नियत समय पर जमा नहीं कराने के कारण बिल लगभग 40 हजार रूपये हो गया है और प्रार्थीया उक्त मकान को छोडकर दूसरे मकान में किराये पर रहने लगी है। उक्त मकान का बिल अप्रार्थी कम 1 द्वारा जैसे तैसे उधार लेकर जमा करवाया है। अप्रार्थी एवं उसकी पत्नी के द्वारा कभी भी प्रार्थीया के साथ लडाई झगड़ा एवं मारपीट नहीं की गयी है बल्कि प्रार्थीया व उसका पुत्र मोनू आये दिन अप्रार्थीगण के साथ मारपीट एवं लडाई झगडा करता है तथा उक्त मकान को बेचान करने की धमकी देती है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के साथ मारपीट नहीं की है, प्रार्थीया ने अपने हिस्से पर जानबूझकर ताला लगा रखा है तथा जानबूझकर विद्युत बिल जमा नहीं करने के कारण किराये के मकान में रह रही है। प्रार्थीया चारा बेचने का व्यवसाय करती है जिससे 1000/– रूपये की आय होती है तथा प्रार्थीया की गांव में जमीन है जिस पर लगभग 1 लाख रूपये सालाना मुनाफा प्राप्त करती है। उक्त मकान का निर्माण कार्य प्रार्थीया, अप्रार्थी कम 1 व प्रार्थीया के पुत्र मोनू के द्वारा मिलकर किया है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से पर कब्जा कर ताला लगा रखा है तथा अपने हिस्से पर प्रार्थीया बेरोकटोक आ जा सकती है. जानबूझकर प्रार्थीया अलग किराये का मकान लेकर निवास कर रही है। प्रार्थीया एक स्वस्थ महिला है जो चारा बेचकर प्रतिदिन 1000/–रूपये कमाती है, तथा प्रार्थीया के पास पुश्तैनी जमीन ग्राम बडाखेडा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है जो कि लगभग 08 बीघा है जिसको प्रार्थीया को मुनाफा काश्त से 1 लाख रूपये की सालाना आय होती है। प्रार्थीया ने अपने उक्त मकान के प्रथम फ्लोर पर जानबूझकर ताला लगाकर अन्यत्र किराये के मकान पर निवास कर रही है। प्रार्थीया ने जानबूझकर अपने छोटे पुत्र मोनू को पक्षकार नही बनाया गया है जो कि एक आवश्यक पक्षकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थीगण को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से बहस नही की गई अत बहस का अवसर बंद किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीया के मालिकाना स्वामित्व का एक मकान नं० 881, पैमाईश 646.32 वर्गफीट वाके अम्बिका स्कूल के पास, सकतपुरा, कुन्हाड़ी, कोटा (राजस्थान) में स्थित है, जिसका प्रार्थीया के नाम नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है। प्रार्थीया की ओर से उक्त मकान के पटटा रजिस्ट्री की फोटो कॉपी पेश की है। उक्त प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त मकान का पटटा प्रार्थीया के नाम से बना हुआ है अतः मकान से स्वामित्व प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रार्थीया के ओर से यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा अनेकों बार प्रार्थीया के साथ गाली गलौच, अभद्रता करते हुये

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लड़ाई झगड़ा व मारपीट की जा चुकी है एवं लात घूसों से भी प्रार्थीया के साथ मारपीट की गई है। पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते है कि प्रार्थीया की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है। जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। प्रार्थीया द्वारा मारपीट के सम्बंध में भी सम्बंधित थाने में पेश की गई रिपोर्ट की प्रति एवं मारपीट के सम्बंध में किसी प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत नही की गई है जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असफल रही है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान अम्बिका स्कूल के पास सकतपुरा कुन्हाड़ी कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा